

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/285
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00277
CICOM/R/2017/01043

दिनांक: 29.09.2017

अपीलकर्ता : श्रीमती शकीला बानो,
मकान नं. 10/119, सदर बाजार,
सागर, मध्य प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 29.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.08.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.09.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.09.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/381/22.09.2017 (166368/20.09.2017)

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 18.08.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के विंदु सं. 4 के माध्यम से मांगी गई सूचना कि श्री एम.श्रीधर आचार्युलु द्वारा अब तक कितनी अपीलों की सुनवाई की गई है, जिसके प्रतिउत्तर में मैं श्री दिनेश कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना कि "Details of cases (Appeals/Complaints) heard by the Hon'ble Information Commissioner from time to time are available on the CIC website www.cic.gov.in and can be viewed from there" से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के दिनांक 18.08.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री दिनेश कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचनाएं वेबसाइट पर डालने का उद्देश्य ही होता है कि आम जनता वेबसाइट से सूचना प्राप्त कर सके एवं उन्हें कम से कम आर.टी.आई. आवेदन दाखिल करना पड़े, इस तरह का कार्य बृहत् पैमाने पर जनता को होने वाली सुविधाओं को ही ध्यान में रखकर किया जाता है ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

✓
A.K.
29/09/17

